मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक / एफ 11-19/2004 / नियम / चार भोपाल दिनांक 12 अप्रैल--2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर्स,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषयः—शासकीय सेवकों को भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के माध्यम से गृह निर्माण / क्रय, वाहन तथा उपभोक्ता सामग्री के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना।

शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण / क्रय, वाहन तथा कंप्यूटर क्रय के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना संबंधी ज्ञाप क्रमांक एफ–2 / 1 / 2002 / नियम / चार दिनांक 19 जुलाई 2002 / 22 जुलाई 2002 को निरस्त किया जाता है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है शासकीय सेवकों को राज्य शासन के स्थान पर गृह निर्माण / क्रय, वाहन तथा उपभोक्ता सामग्री तथा बच्चों / बच्चियों की शिक्षा के लिये ऋण की व्यवस्था की जाये । इस हेतु एक योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2. ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासन द्वारा पूर्व में कुछ किस्ते ऋण /अग्रिम भुगतान की गयी है, उन्हें पूर्ववत निर्धारित सीमा तक शासन द्वारा ऋण /अग्रिम का भुगतान किया जावेगा ।

**संलग्न–<u>उपर्युक्तानुसार</u>**

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(हस्ताक्षर)

**(ए०पी० श्रीवास्तव)
सचिव,
म०प्र० शासन, वित्त विभाग**

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 11-19/2004/नियम/चार
प्रतिलिपि:

भोपाल दिनांक 12 अप्रेल 2005

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष- 84, मंत्रालय,भोपाल ।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
25. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शासकीय सेवकों को भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय, उपभोक्ता सामग्री, बच्चो की उच्च शिक्षा आदि के लिये

## ऋण उपलब्ध कराने की योजना.

1. **योजना का नामः—** यह योजना शासकीय सेवको को भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना कहलायेगी ।

2. **उद्देश्यः—** इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवको को भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से आवासीय प्लॉट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/, उपभोक्ता सामग्री, बच्चो/बच्चियों की उच्च शिक्षा के लिये उनकी आवश्यकता तथा पात्रता अनुसार ऋण की व्यवस्था करना है ।

3. **प्रारंभ :—** यह योजना दिनांक 01.04.2005 से प्रारंभ होगी ।

4. **विस्तार :—**

(1) यह योजना निम्नांकित वर्गो को छोड़कर राज्य शासन के नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी :—

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी

(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी

(स) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी

(द) शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी

(2) गृह निर्माण/क्रय ऋण के संबंध में कर्मचारी की सेवा अवधि न्यूनतम 5 वर्ष तथा अन्य प्रयोजन हेतु 3 वर्ष होना चाहिए । जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, उन पर भी यह योजना लागू होगी।

5. **योजना के मुख्य बिन्दु :—**

(1) राज्य शासन के कर्मचारियों को उक्त बैंको से स्वयं के लिए आवासीय प्लॉट का क्रय, भवन निर्माण/क्रय, वाहन क्रय, उपभोक्ता सामग्री तथा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के विषय में भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से विचार विमर्श किया गया है। इस संबंध में इन बैंको में से किसी से ऋण लेने के लिए जो शासकीय सेवक इच्छुक हो, वे उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुशंसा पत्र (परिशिष्ट-1)

जिसमें कर्मचारी के वेतन, भत्ते आदि की प्रमाणित जानकारी हो, के साथ सीधे इन बैंको के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते है । ऋण प्रदाय के लिये आवश्यक सभी प्रपत्र आदि संबंधित बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे । बैंक कर्मचारी के वेतन के आधार पर पात्रतानुसार ऋण स्वीकृत कर सकता है । बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति की एक प्रति मय शर्तो आदि के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दी जावेगी एवं कर्मचारी के अभिलेख में रखी जावेगी । संपत्ति पर प्रथम चार्ज बैंक का रहेगा । ऋण हेतु बैंक द्वारा निर्धारित प्रकिया/नियमों का कर्मचारी को पालन करना अनिवार्य होगा ।

(2) राज्य शासन के कर्मचारी जो अन्य संगठनों में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके आवेदन पत्र संबधित विभागाध्यक्ष द्वारा बैंकों को अग्रेषित किए जाएगें। संबधित संगठन से ऋण राशि की किश्त वसूल कर बैंक को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व संबधित विभागाध्यक्ष का होगा ।

(3) बैंक द्वारा निश्चित ब्याज दर एवं परिवर्तनशील ब्याज दर सामान्य ब्याज दरों से 0.25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत कम लगाई जावेगी ।

(4) बैंक द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिये प्रोसेसिंग फीस को पूर्णतः माफ किया जायेगा । साथ ही इन योजनाओं में ऋण गृहिता द्वारा देय मार्जिन मनी के प्रतिशत को भी घटाकर कर लिया जायेगा ।

(5) त्यौहार अथवा अन्य अवसरों पर बैंक द्वारा पेश विशेष पैंकेज का लाभ म.प्र.शासन के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा । विशेष पैकेज के अंतर्गत देय लाभ यदि प्रस्तावित ऋण योजना के अंतर्गत देय लाभो से अधिक है तो विशेष पैकेज के अंतर्गत देय लाभ भी कर्मचारियों को उपलब्ध रहेगें ।

(6) व्यक्गित योजनाओं की विस्तृत जानकारी बैंक द्वारा कर्मचारियों को एक युक्तियुक्त समय अवधि में उपलब्ध करायी जायगी ।

6. **त्रृण का उददेश्यः—इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को उक्त बैंको से निम्नांकित उददेश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा :—**

**(1) कर्मचारी को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास के कय/निर्माण एवं परिवर्धन हेतु ।**

**(2) नवीन/पुराने वाहन के कय हेतु ।**

**(3) उपभोक्ता सामग्री कय हेतु ।**

**(4) स्वयं तथा अपने बच्चों/बच्चियों की उच्च शिक्षा हेतु ।**

**(5) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अन्य उददेश्यों हेतु ।**

7. **ऋण की सीमा :—** ऋण के लिए कोई अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं होगी । शासकीय सेवक अपनी आवश्यतानुसार ऋण प्राप्त कर सकता है तथा बैंक संबंधित कर्मचारी के वेतन या योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार ऋण स्वीकृत

कर सकता है । इस संबंध में बैंक के अपने नियम तथा शर्ते लागू होगें । संपत्ति पर प्रभार संबंधित बैंक के पक्ष में निर्मित होगा ।

8. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये ऋण, वसूल की गई राशि आदि की जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उस आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दी जावेगी जहां कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है ।

9. **ऋण की वापसी :–**

(1) ऋण प्राप्त करने वाले कर्मचारी का वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ऋण प्रदान करने वाली बैंक शाखा के माध्यम से भुगतान किया जायेगा । कर्मचारी से इस आशय का वचनपत्र (परिशिष्ट–2) लिया जायगा कि उसके द्वारा बैंक से लिए गए ऋण के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी उसके वेतन से बैंक द्वारा बताई गई राशि का कटौत्रा कर संबंधित बैंक को भुगतान कर सकेगा ।

(2) बैंक वसूली हेतु किश्तें इस प्रकार निर्धारित करेगा ताकि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के पूर्व सारी बकाया वसूल हो जाय । यदि कोई राशि शेष रहती है तो मध्यप्रदेश शासन कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभों से वसूल कर बैंक को प्रेषित करेगा ।

(3) ऋण प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति,त्यागपत्र सेवा के दौरान मृत्यु की सूचना कार्यालय प्रमुख द्वारा तत्काल संबंधित बैंक को दी जायेगी जो ऋण की शर्तो के अनुसार शेष ऋण,ब्याज आदि की वसूली करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

(4) संबंधित शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र,मृत्यु इत्यादि के मामलों में वसूली न होने योग्य राशि कर्मचारी की सेवांत सुविधाओं से वसूली की जाकर संबंधित बैंको को प्रेषित की जायेगी ।

(5) ऐसे शासकीय कर्मचारी जो ऋण लेने के उपरांत किसी कारणवश निलंबित हो जाते है, ऐसी स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित बैंक को सूचित किया जावेगा ताकि वह उक्त कर्मचारी से संपर्क कर सीधे ऋण की किश्तों की राशि प्राप्त कर सके ।

(6) यदि कोई शासकीय कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण वेतन की पात्रता हासिल नहीं करता है,तो उसके ऋण की वसूली के विषय में भी उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि निलंबित कर्मचारी के विषय में ।

(7) ऋण प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में ऐसी किसी घटना यथा सेवा से निलंबन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि जिसका प्रभाव वेतन के भुगतान की व्यवस्था पर पडता हो, के संबंध में जारी होने वाले आदेश की प्रति संबंधित ऋण प्रदायकर्ता बैंक को पृष्ठांकित की जायेगी ।

(8) अगर किसी कारण से शासकीय सेवक और बैंक के बीच विवाद होता है और मामला न्यायालय में जाता है तो राज्य शासन को किसी भी पक्ष द्वारा पार्टी नहीं बनाया जायेगा ।

10. ऋण अनुबंध :– बैंक द्वारा कर्मचारियों से सीधे ऋण अनुबंध किए जायेगे ।

11. अन्य सुविधाएँ :–

(1) बैंक द्वारा शासकीय कर्मचारियों को शून्य वैलेस के आधार पर बैंक खाता खोलने, निशुल्क ए.टी.एम. एवं डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने, चुनिन्दा स्थानों पर मुफ्त इन्टरनेंट बैंकिंग सुविधा, गृह एवं कार ऋण सुविधाओ को मुफ्त दुर्घटना बीमा तथा रियायती दर पर एस.बी.आई लाइफ के माध्यम से जीवन बीमा आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायगी ।

(2) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा अपनी बालिका की उच्च शिक्षा हेतु यदि बैंक से ऋण लिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऐसे कर्मचारियों को ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा । यदि कर्मचारी द्वारा ऋण प्राप्त करने के पश्चात नियमित रूप से सिर्फ ब्याज का भुगतान नियमित अवधि के दौरान किया जाता है तो बैंक भी 1 प्रतिशत की दर से शिक्षा अवधि हेतु छूट प्रदान करेगी । शिक्षा ऋण में शिक्षा अवधि के पश्चात 6 माह से 1 वर्ष की अवधि के स्थगन पश्चात ऋण की किश्तों का भुगतान ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा किया जाना होगा । राज्य शासन द्वारा छात्राओं हेतु देय 3 प्रतिशत अनुदान की राशि का आंकलन वार्षिक आधार पर बैंक द्वारा किया जायेगा तथा राज्य शासन से धन राशि प्राप्त होने पर संबंधित ऋण गृहिता के खाते में जमा किया जायगा ।

शाकेमुभो—99—असविवि—19-4-2005—1,000.

परिशिष्ट--1

प्रति,

प्रबंधक,
बैंक
.....
.....

विषयः— भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों द्वारा ऋण लेने की सुविधा ।

—0—

उपर्युक्त विषय के संबंध में लेख है कि श्री..... आत्मज श्री.....इस कार्यालय के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी है । इन्होंने आपकी बैंक से गृह/आवास/वाहन/उपभोक्ता सामग्री/बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु इच्छा व्यक्त की है । इनकी सेवा का विवरण निम्नानुसार है :—

1. कर्मचारी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. पदनाम.....
4. वर्तमान कार्यालय का पता.....
5. स्थायी निवास का पता.....
6. जन्मतिथि.....
7. शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक.....
8. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने का दिनांक.....
9. यूनीक एम्पलाई कोड.....
10. वेतन का विवरण.....

| स. क. | वेतन का विवरण | रूपये | कटौती का विवरण | रूपये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूल वेतन | | सामान्य भविष्य निधि अंशदान | |
| 2 | मंहगाई भत्ता | | समूह बीमा योजना | |
| 3 | नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | | गृह निर्माण अग्रिम | |
| 4 | वाहन भत्ता | | वाहन अग्रिम | |
| 5 | अन्य भत्ते | | अनाज अग्रिम | |
| 6 | | | त्यौहार अग्रिम | |
| 7 | | | अन्य कटौत्री | |
| 8. | कुल योग वेतन रूपये | | | |
| 9 | भुगतान योग्य शेष रूपये | | | |

उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपकी बैंक से लिये गये ऋणों की माह वार किश्त की राशि, श्री.....के वेतन से प्रतिमाह कटौत्री कर वसूल करने के लिये कर्मचारी का वेतन आपकी बैंक/शाखा के माध्यम से भुगतान किया जायगा ।

(.....)
कार्यालय प्रमुख
.....

परिशिष्ट–2

# //वचन पत्र//

मैं वचन देता हूँ कि :–

(i) मेरे वेतन का भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ऋण प्रदान करने वाली बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकेगा ।

(ii) मेरे द्वारा बैंक से लिए गए ऋण (गृह/वाहन/उपभोक्ता सामग्री/उच्च शिक्षा आदि) के संबंध में बैंक द्वारा बताई गई राशि का आहरण एवं संवितरण अधिकारी मेरे वेतन के कटौत्रा कर संबंधित बैंक को अदा कर सकेगा ।

(ii) बैंक से लिए गए ऋण (गृह/वाहन/ उपभोक्ता सामग्री/उच्च शिक्षा आदि) एवं ब्याज की राशि यदि सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र अथवा अन्य किसी कारण से शेष रहती है तो इसकी वसूली राज्य शासन द्वारा मुझे देय स्वत्वों से की जा सकेगी ।

स्थान
दिनांक

ऋण लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय का नाम व पता.....